न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 243/2023

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. सविन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 52 एफ तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

उपस्थितः स्वंय वादी **तारीख रजूः– 20.07.2023**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए,

––निर्णय–– **दिनांक : 20.07.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 52 एफ, पटवार हल्का 56 एफ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 98/92 में 2.569 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त जमाबन्दी में वादी का नाम सुविन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह दर्ज है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम 52 एफ, पटवार हल्का 56 एफ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 97/91 में 0.784 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जमाबन्दी में वादी का नाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह दर्ज है। जबकि वादी का सही नाम सविन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सविन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

उक्त प्रकरण के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 3767 दिनांक 06.07.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 52 एफ की जमाबन्दी के खाता संख्या 98 में सुविन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह के नाम मुरब्बा नम्बर 14 में 1.342 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 41 में 0.089 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 44 में 1.138 हैक्टेयर कुल 2.569 हैक्टेयर नहरी व खाता संख्या 97/91 में सुरेन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह के नाम से मुरब्बा नम्बर 14 में 0.784 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार सविन्द्र सिंह उर्फ सुरेन्द्र सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। अतः वर्तमान जमाबन्दी चक 52 एफ के खाता संख्या 98 व 97 में सुरेन्द्र सिंह उर्फ सविन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह की शुद्धि की जानी उचित है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अ[illegible] की सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली त[illegible] प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 52 एफ, पटवार हल्का 56 एफ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 98/92 की प्रति, राजस्व ग्राम 52 एफ, पटवार हल्का 59 एफ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 97/91 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 52 एफ, पटवार हल्का 56 एफ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 98/92 में अंकित नाम सुविन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह के स्थान पर सविन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह व खाता संख्या 97/91 में अंकित नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:44:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

सुरेन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह के स्थान पर सविन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में नाम सविन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार सविन्द्र सिंह उर्फ सुरेन्द्र सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। अतः वर्तमान जमाबन्दी चक 52 एफ के खाता संख्या 98 व 97 में सुरेन्द्र सिंह उर्फ सविन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह की शुद्वि की जानी उचित है। सरपंच ग्राम पंचायत 56 एफ के द्वारा जारी तस्दीक प्रमाण पत्र के अनुसार सुरेन्द्र सिंह उर्फ सविन्द्र सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, सरपंच ग्राम पंचायत 56 एफ के तस्दीक प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 52 एफ, पटवार हल्का 56 एफ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 98/92 में अंकित नाम सुविन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह के स्थान पर सविन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह व खाता संख्या 97/91 में अंकित नाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह के स्थान पर सुरेन्द्र सिंह उर्फ सविन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 20.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

Signature Not Ve
Digitally signed by Su
Chandra
Date: 2023.09.06 12:
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

सविन्द्र सिंह बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नम्बर 243/2023

निर्णय दिनांक :- 20.07.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी स्वंय उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 52 एफ, पटवार हल्का 56 एफ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075-78 के खाता संख्या 98/92 में अंकित नाम सुविन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह के स्थान पर सविन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह व खाता संख्या 97/91 में अंकित नाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह के स्थान पर सुरेन्द्र सिंह उर्फ सविन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 20.07.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	02	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर
दिनांक: 20.07.2023

क्रमांकः रीडर/ 2023/403
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:44:45 IST
Reason: SelfAttested